भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2959

उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी

2959. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख केन्द्रीय सामाजिक कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है और इसमें शामिल किए गए लाभार्थियों की योजना-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) शिरूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने लोगों को लाभ प्रदान किया गया हैं;

(घ) लाभ प्रदान करने में विलंब, अस्वीकृति अथवा आवेदन के लंबित रहने के क्या कारण हैं और पात्र लाभार्थियों को समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र में स्वास्थ्य कवरेज, लाभों की सुवाह्यता और आय सहायता तंत्र सहित असंगठित कामगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): जी, हां।

सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में कई सामाजिक कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इनमें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय); वेंचर कैपिटल फंड; आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल); वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास); लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ); अनुसूचित जाति के

लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस); अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई); ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर); राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते); डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड); ओबीसी और अन्य पात्र वर्गों के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी); सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (पीसीआर) के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना; अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति; ओबीसी और अन्य पात्र वर्गों के लिए श्रेयस; प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना; देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एनसीएससी-एससी/एसटी) के लिए 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से एससी/एसटी जॉब सीकर्स कल्याण योजना आदि शामिल हैं। इसी प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाएं चला रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत, जारी और उपयोग में लाए गए फंड तथा कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या और स्वीकृत लाभ, जहां भी लागू हो, का योजना-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ): लाभ स्वीकृत करने में विलंब, अस्वीकृति या लंबित होने की घटनाएं अपूर्ण या गलत आवेदन, अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन में विलंब, पात्रता मानदंडों को पूरा न करने और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तावों या उपयोग प्रमाण-पत्रों को देर से प्रस्तुत करने जैसे कारणों से हो सकती हैं। इन मुद्दों को हल करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए, विभाग ने कई सुधारात्मक उपाय किए हैं, जिनमें ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से आवेदन और सत्यापन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभों के सीधे अंतरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को अपनाना, राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें, प्रस्तावों और दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए सलाह और अनुस्मारक जारी करना और निगरानी तंत्र को मजबूत करना शामिल है।

(ङ): महाराष्ट्र सहित देश भर में असंगठित कामगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में, सरकार वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम); बीड़ी, सिने और गैर-कोयला खान कामगारों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा (छात्रवृत्ति) और आवास घटकों को कवर करने वाली श्रम कल्याण योजनाएं (एलडब्ल्यूएस); रोजगार के

अवसरों को बढ़ाने के लिए मॉडल करियर केन्द्रों (एमसीसी) की स्थापना सहित राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस); ईपीएफओ के माध्यम से लागू कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995; कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार सृजन और छूटी हुई नौकरियों की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई); बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से स्वास्थ्य कवरेज जैसी योजनाएं लागू कर रही है। इसके अलावा, नमस्ते योजना के लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का प्रावधान है। महाराष्ट्र राज्य में आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई और नमस्ते योजना के तहत 6,121 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को कवर किया गया है।

अनुलग्नक-I

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2959, जिसका उत्तर 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण।

1. **पीएम-अजय:**

महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम-अजय योजना के तहत जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	घटक	जारी की गई निधि		
		2022-23	2023-24	2024-25
1.	आदर्श ग्राम	2,735.60	216.41	0
2.	सहायता अनुदान	125.47	0	2,724.50
3.	छात्रावास	0	0	0

महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम-अजय योजना के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	घटक	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या		
		2022-23	2023-24	2024-25
1.	आदर्श ग्राम	90,739	30,812	25,734
2.	सहायता अनुदान	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई है	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई है	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई है
3.	छात्रावास	0	0	0

नोट: पीएम-अजय के तहत, सीधे लाभार्थियों से आवेदन नहीं प्राप्त होते हैं; बल्कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऑनलाइन वेब पोर्टल पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। विभाग द्वारा प्रस्तावों की जांच के बाद निधियां स्वीकृत की जाती हैं।

2. **वेंचर कैपिटल फंड:** पिछले 3 वर्षों के दौरान मंजूरी, संवितरण (जारी) और निधि के उपयोग के संदर्भ में वीसीएफ-एससी, एएसआईआईएम और वीसीएफ-बीसी का विवरण इस प्रकार है:

महाराष्ट्र में स्वीकृति और वितरण						
	2023-24		2024-25		2025-26	
घटक	राशि करोड़ में	कंपनियों की संख्या	राशि करोड़ में	कंपनियों की संख्या	राशि करोड़ में	कंपनियों की संख्या
वीसीएफ-एससी मंजूरी	42.09	7	40.38	8	2.94	2
वीसीएफ-एससी वितरण	24.61	11	11.94	8	11.85	7
एएसआईआईएम मंजूरी	2.4	8	1.8	6	3.3	11
एएसआईआईएम वितरण	1.46	17	0.94	14	0.86	14
वीसीएफ-बीसी मंजूरी	12.04	2	5	1	9.66	2
वीसीएफ-बीसी वितरण	9.06	2	5.99	3	2.1	2

नोट: आईएफसीआई वेंचर में संचालित वीसीएफएससी योजनाएं केवल अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए हैं। एएसआईआईएम के तहत कुल 23 और वीसीएफएससी के तहत 73 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वीसीएफबीसी के अंतर्गत महाराष्ट्र से कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

3. **स्माइल-भिक्षावृत्ति:** इस योजना के तहत, जिला प्रशासनों/नगर निगमों को निधियां जारी की जाती हैं और महाराष्ट्र के 5 शहरों को निधियां जारी की गई हैं, जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन के लिए सहमति प्रस्तुत की है:

क्र.सं.	जिला/शहर	जारी की गई निधि (रुपये लाख में)			पुनर्वासित लोगों की संख्या
		2023-24	2024-25	2025-56	
1	शिरडी	-	9.00	-	-
2	नागपुर	-	9.00	-	816
3	पुणे पिंपरी चिंचवाड़	-	9.00	-	-
4	छत्रपति संभाजी नगर	-	9.00	-	-
5	नासिक	17.60	-	-	-

6	कोल्हापुर	-	-	-	-
7	पुणे	-	-	-	-
8	अमरावती	-	-	-	-
9	ठाणे	-	-	-	-
10	सोलापुर	-	-	-	-

4. स्माइल (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण):

महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि	लाभार्थियों की संख्या
2022-23	-	63
2023-24	0.70	60
2024-25	0.56	72

5. विश्वास: यह योजना 2024-25 से लागू की जा रही है। महाराष्ट्र में विश्वास योजना के तहत अनुदान राशि और लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

महाराष्ट्र में विश्वास (रुपये लाख में)				
	2024-25		2025-26	
घटक	**लाभार्थी**	**अनुदान राशि**	**लाभार्थी**	**अनुदान राशि**
विश्वास-एससी	1,890	8	456	7.53
विश्वास-बीसी	3,770	16.30	3,770	46.28

नोट: योजना के तहत, पीएसबी और आरआरबी जैसे विभिन्न वितीय संस्थानों द्वारा पहले से स्वीकृत ऋणों पर ब्याज छूट दी जाती है। ऋणदाता संस्थान (एलआई) अपने लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित त्रैमासिक दावे प्रस्तुत करते हैं। पीएफएमएस/डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

6. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ): केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में लाभार्थियों की संख्या और स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं के लिए जारी की गई निधियों का वास्तविक और वित्तीय ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (रुपये लाख में)
2022-23	4,094	744.29
2023-24	2,982	878.5
2024-25	1,751	913.99

योजना के मोड-I के तहत, अनुसूचित जातियों (एससी) से संबंधित छात्रों का चयन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (एनईटीएस) के माध्यम से किया जाता है। 2024-25 से महाराष्ट्र राज्य से पंजीकृत होने और चुने गए उम्मीदवारों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	पंजीकरण की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2024-25	244	163	127
2025-26	314	264	88

7. **केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना अर्थात अनुसूचित जाति (एससी) के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)"**: इसमें केंद्रीय क्षेत्र की 4 उप-योजनाएं शामिल हैं, जिनके नाम हैं "अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा", "अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और पीएम केयर्स चिल्ड्रन के लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना", "अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज योजना" और "अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप"।

क. अनुसूचित जाति के लिए टॉप क्लास शिक्षा:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आवंटित निधि	किया गया व्यय
1.	2022-23	108.00	85.67
2.	2023-24	100.0	83.84
3.	2024-25	103.00	103.26

ख. एससी, ओबीसी और पीएम-केयर्स चिल्ड्रन स्कीम (एफसीएस) के लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आवंटित निधि	किया गया व्यय
1.	2022-23	27.00	18.41
2.	2023-24	14.82	7.76
3.	2024-25	18.00	17.68

ग. अनुसूचित जाति आदि के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आवंटित निधि	किया गया व्यय
1.	2022-23	50.00	86.59
2.	2023-24	85.00	88.56
3.	2024-25	95.00	74.17

घ. अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आवंटित निधि	किया गया व्यय
1.	2022-23	159.00	134.07
2.	2023-24	188.00	199.82
3.	2024-25	212.00	209.50

नोट: ये सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, इसलिए महाराष्ट्र राज्य के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर पर लागू की गई हैं।

8. **अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई):** यह महाराष्ट्र सहित देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 01.04.2021 से लागू 07 घटकों वाली एक व्यापक योजना है। पिछले 03 वर्षों के दौरान एवीवाईएवाई के घटकों के तहत बजटीय आवंटन और किए गए वास्तविक व्यय (एई) का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	88.84	88.84	92.15	59.32	168.21	208.29
2.	एल्डरलाइन	33.49	33.49	52.47	9.62	53.46	9.23
3.	सेज	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.0
4.	वरिष्ठ नागरिक देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण	एनए	एनए	25.00	0.00	35.00	45.82
5.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल	एनए	एनए	8.00	0.12	15.00	2.96
6.	आईपीएसआरसी	241.76	72.31	275.05	118.96	307.93	125.43
7.	एसएपीएसआरसी	18.47	11.74	17	21.19	17	16.91

9. ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर):

पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में गैर-सरकारी संगठनों और राज्य कार्य योजना (एसएपी) के तहत और लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

2022-23			2023-24			2024-25		
एनजीओ/वीओ को जारी की गई निधि	एसएपी को जारी की गई निधि	लाभार्थी	एनजीओ/वीओ को जारी की गई निधि	एसएपी को जारी की गई निधि	लाभार्थी	एनजीओ/वीओ को जारी की गई निधि	एसएपी को जारी की गई निधि	लाभार्थी
9.88	0	8705	12.81	1.87	10347	14.39	0	28739

पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा महाराष्ट्र में व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) को हस्तांतरित धनराशि का विवरण, जो मंत्रालय द्वारा एनडीडीटीसी, एम्स और उनके लाभार्थियों को जारी की गई धनराशि से प्राप्त की गई है, निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**एनडीडीटीसी, एम्स द्वारा महाराष्ट्र में एटीएफ को अंतरित राशि**	**जिन मरीजों का इलाज किया गया उनकी संख्या**
i.	2022-23	11, 93,850 रु.	750
ii	2023-24	41,78,599 रु.	446
iii.	2024-25	39,51,150 रु.	879

10. राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते):

सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) के कल्याण के लिए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) 2023-24 से चल रही है। पूर्ववर्ती ''हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)'' के घटकों का इस योजना में विलय कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना के तहत वेस्ट पिकर्स को एक लक्षित समूह के रूप में जोड़ा गया है। स्वच्छता कार्य जाति आधारित नहीं बल्कि व्यवसाय आधारित है।

नमस्ते एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा सत्यापित लाभार्थियों के अनुसार विभिन्न एसएसडब्ल्यू घटकों के लिए निधि जारी की जाती है।

महाराष्ट्र राज्य में नमस्ते योजना के तहत 8,660 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों और 38,529 वेस्ट पिकर्स को सत्यापित किया गया है। महाराष्ट्र में विभिन्न घटकों के तहत लाभार्थियों की सं. तथा किए गए व्यय के साथ वर्षवार व्यय का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	घटक	वित्त वर्ष 23-24		वित्त वर्ष 24-25		वित्त वर्ष 25-26 (29.01.2026 तक)	
		लाभार्थियों की सं.	किया गया व्यय (रु. लाख में)	लाभार्थियों की सं.	किया गया व्यय (रु. लाख में)	लाभार्थियों की सं.	किया गया व्यय (रु. लाख में)
1	एसएसडब्ल्यू के लिए पीपीई किट	225	17.43	6910	257.72	838	29.12
2	ईआरएसयू सुरक्षा किट	-	-	32	60.72	13	20.91
3	कार्यशाला	61	11.96	47	8.4	17	1.56
4	आईईसी	-	-	-	14.3	-	-
5	कौशल विकास प्रशिक्षण	-	-	153	0.45	113	55.46
6	सामान्य परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी	6	30	-	-	56	140.53
कुल			59.39		341.59		247.58

11. डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड):

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के विकास और कल्याण के लिए, सरकार पिछले दो वर्षों से महाराष्ट्र में निम्न प्रकार के सहायता देकर डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड) लागू कर रही है (i) शैक्षिक सशक्तिकरण: उन्हें नि:शुल्क कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता देकर, (ii) स्वास्थ्य: डीएनटी समुदायों के बीच आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, (iii) आजीविका: डीएनटी समूहों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है।

कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई निधियों और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	योजना घटक	जारी की गई निधि	लाभार्थियों की संख्या
2024-25	शैक्षिक सशक्तिकरण (नि:शुल्क कोचिंग)	2.75 करोड़ रु.	212
	स्वास्थ्य	-	5,000
	आजीविका	2.06 करोड़ रु.	2,628
2025-26	शैक्षिक सशक्तिकरण (नि:शुल्क कोचिंग)	5.15 करोड़ रु.	1,145
	स्वास्थ्य	0.05 करोड़ रु.	29,532
	आजीविका	4.44 करोड़ रु.	8,469

12. महाराष्ट्र राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं का विवरण

योजना	पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपलब्धियां (किया गया व्यय और लाभार्थियों की सं. लाख में)								
	2022-23			2023-24			2024-25		
	सैद्धांतिक आवंटन	किया गया व्यय	लाभार्थियों की सं.	सैद्धांतिक आवंटन	किया गया व्यय	लाभार्थियों की सं.	सैद्धांतिक आवंटन	किया गया व्यय	लाभार्थियों की सं.
ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	3271.00	2963.89	$	1808.00	0.00	0	1319.00	555.74	1.17 (लाख)
ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	9108.00	6921.12	$	6987.00	0.00	0	5852.00	0.00	0
अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण	_	0.00	0	_	0.00	0	_	0.00	0
ओबीसी छात्रों के लिए स्कूल में टॉप क्लास शिक्षा	_	3.135	33 (वास्तविक)	_	52.31	262 (वास्तविक)	_	256.21	761 (वास्तविक)
ओबीसी छात्रों के लिए कॉलेज में टॉप क्लास शिक्षा	2023-24 में लागू की गई योजना				1000.39	325 (वास्तविक)	_	2712.14	862 (वास्तविक)

$ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सूचना नहीं दी गई है।

13. सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम के प्रवर्तन के लिए मशीनरी के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसके तहत पी सी आर अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना महाराष्ट्र में लागू की जा रही है। पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान उपर्युक्त योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य को जारी की गई केंद्रीय सहायता, राहत प्राप्त अत्याचार पीड़ितों की संख्या और प्रोत्साहन प्राप्त अंतर-जातीय विवाह जोड़ों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

2022-23			2023-24			2024-25		
जारी की गई निधि	लाभार्थियों की सं.		जारी की गई निधि	लाभार्थियों की सं.		जारी की गई निधि	लाभार्थियों की सं.	
	राहत प्राप्त अत्याचार पीड़ितों की सं.	अंतरजातीय विवाह जोड़ों की संख्या जिन्हें प्रोत्साहन दिया गया है		राहत प्राप्त अत्याचार पीड़ितों की सं.	अंतरजातीय विवाह जोड़ों की संख्या जिन्हें प्रोत्साहन दिया गया है		राहत प्राप्त अत्याचार पीड़ितों की सं.	अंतरजातीय विवाह जोड़ों की संख्या जिन्हें प्रोत्साहन दिया गया है
12.83 (रुपये करोड़ में)	2869	0	37.27 (रुपये करोड़ में)	3339	440	24.52 (रुपये करोड़ में)	5661	8566

14. **अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से लागू की जा रही है।

(क) पिछले 03 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में लाभार्थियों की संख्या तथा जारी केंद्रीय हिस्सेदारी का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी
2022-23	359.42	148573
2023-24	1652.98	749317
2024-25	929.92	362808

(ख) पिछले 03 वर्षों के दौरान वास्तविक (लाभार्थियों की संख्या) और वित्तीय (जारी केंद्रीय हिस्सेदारी) उपलब्धियों का विवरण अर्थात महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा (करोड़ रुपये में)	लाभार्थी
2022-23	-	-
2023-24	-	-
2024-25	0.11	535

15. एससी/एसटी जॉब सीकर्स कल्याण योजना:

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य (एनसीएससी-नागपुर) में लाभार्थियों की संख्या सहित "एससी/एसटी जॉब सीकर्स कल्याण योजना" के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान (रु. हजार में)	कुल व्यय (रु. हजार में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2022-23	15,208	13,974	11,346
2	2023-24	14,108	13,380	10,870
3	2024-25	9,194	8,644	12,725

*****